
कार्यकारी सार

प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के सी0ए0जी0 का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 हेतु राज्य के वित्त पर है। यह वित्त, बजट प्रबन्धन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराएं तथा राज्य के वित्त से सम्बन्धित अन्य प्रकरणों का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

यह कार्यकारी सार इस प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आँकड़ों और पहलुओं के आशुचित्रों के माध्यम से, राजकोषीय संवहनीयता, बजट के आशय के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) वर्ष 2018-19 में ₹ 15,82,180 करोड़ से 9.69 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 22,57,575 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 4,99,136 करोड़ से 9.96 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 6,85,556 करोड़ हो गया।

जीएसडीपी में वर्ष 2021-22 के सापेक्ष 14.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में 12.46 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई तथा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2021-22 में 18.79 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में 18.48 प्रतिशत थीं। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में विगत वर्ष से 18.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश राज्य का सकल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम एवं आकस्मिकता निधि में विनियोग) वर्ष 2021-22 में ₹ 4,11,237 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 4,83,215 करोड़ हो गया, जिसमें 17.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 के सापेक्ष 12.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के सापेक्ष राजस्व अधिशेष 11.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 33,430 करोड़ से बढ़कर ₹ 37,263 करोड़ हो गया, तथापि राजकोषीय घाटा 64.53 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2021-22 में ₹ 39,286 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 64,636 करोड़ हो गया।

प्राप्ति-व्यय भिन्नता

प्राप्ति एवं व्यय में निरन्तर भिन्नता बढ़ते हुए राजकोषीय दबाव को इंगित करता है। राज्य की प्राप्ति के विभिन्न स्रोत हैं यथा राज्य का स्वयं का कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों में राज्य का हस्तांतरण, सहायता अनुदान तथा केन्द्र सरकार से अंतरण एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्ति। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखे पर व्यय के साथ-साथ पूँजीगत लेखे (सम्पत्ति निर्माण, निवेश आदि) सम्मिलित हैं।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 में राजस्व प्राप्तियाँ 9.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 3,29,978 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,17,241 करोड़ हो गयी। पूँजीगत प्राप्ति भी इस अवधि में ₹ 56,908 करोड़ से बढ़कर ₹ 68,184 करोड़ हो गयीं। राजस्व प्राप्तियों में

सहायता अनुदान वर्ष 2018-19 में 13.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 14.36 प्रतिशत हो गया, जो भारत सरकार से सहायता पर बढ़ती निर्भरता को इंगित करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को सहायता अनुदान के रूप में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिये ₹ 35,575 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष 2022-23 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जीएसडीपी के सापेक्ष उछाल 1.26 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय वर्तमान स्तर की सेवाओं को बनाये रखने तथा विगत दायित्वों का भुगतान करने के लिये किया जाता है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य राजस्व व्यय ₹ 3,01,728 करोड़ (जीएसडीपी का 19.07 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 3,79,978 करोड़ (जीएसडीपी का 16.83 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि में यह 7.58 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर की वृद्धि के साथ सकल व्यय का एक महत्वपूर्ण अंश (79 प्रतिशत से 85 प्रतिशत) बना रहा।

साधन से परे व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में अन्तर का परिणाम राजस्व घाटा है। राज्य ने अवधि 2018-23 में राजस्व अधिशेष प्राप्त किया सिवाय वर्ष 2020-21 के, जिसमें राजस्व घाटा ₹ 2,367 करोड़ का था। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2018-19 में ₹ 28,250 करोड़ (जीएसडीपी का 1.79 प्रतिशत) से बढ़कर वर्तमान वर्ष में ₹ 37,263 करोड़ (जीएसडीपी का 1.65 प्रतिशत) हो गया।

सकल व्यय का सकल गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अन्तर राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2018-19 में ₹ 35,203 करोड़ (जीएसडीपी का 2.22 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹ 64,636 करोड़ (जीएसडीपी का 2.86 प्रतिशत) हो गया। राज्य सरकार ने 2022-23 में ₹ 93,028 करोड़ पूँजीगत व्यय के रूप में व्यय किया, जो वर्ष 2022-23 के सकल व्यय का 19.25 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय के अन्तर्गत, प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा अंश बनाती है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर प्रथम भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी एवं पेंशन पर व्यय सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 (56 प्रतिशत) तथा वर्ष 2022-23 (59 प्रतिशत) के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी एवं पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 56 से 62 प्रतिशत रहा। प्रतिबद्ध व्यय में 7.95 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से वृद्धि हुई, अर्थात् वर्ष 2018-19 में ₹ 1,67,479 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2,22,893 करोड़ हो गया। [वर्ष 2021-22 (2,02,126 करोड़) के सापेक्ष 10.27 प्रतिशत की वृद्धि]। यद्यपि, 2020-21 से 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के अंश में कमी आयी।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त अनम्य व्यय, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 20.43 प्रतिशत (2018-19) से घटकर 14.94 प्रतिशत (2022-23) हो गया। अनम्य व्यय 2021-22 में ₹ 48,526 करोड़ से 16.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2022-23 में ₹ 56,770 करोड़ हो गया। अनम्य व्यय ₹ 61,633 करोड़ (2018-19) से घटकर ₹ 56,770 करोड़ (2022-23) हो गया।

कुल मिलाकर, वर्ष 2022-23 में प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय ₹ 2,79,663 करोड़, राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा पूँजी सृजन के लिये लचीलेपन में कमी प्रदान करती है।

सब्सिडी पर व्यय

गैर प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत सब्सिडी में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, जो वर्ष 2018-19 में ₹ 14,053 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 21,267 करोड़ हो गयी अर्थात् वर्ष 2018-19 में कुल राजस्व व्यय का 4.66 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 5.60 प्रतिशत हो गयी। उर्जा क्षेत्र में सब्सिडी एक महत्वपूर्ण अंश था, जो इस अवधि में कुल सब्सिडी का 52 से 68 प्रतिशत था।

गैर बजट ऋण

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 3,488 करोड़ के गैर बजट ऋण को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से ₹ 24,314.36 करोड़ गैर बजट ऋण जुटाये थे; जो राज्य के संचित निधि में नहीं आ रहे थे, जबकि इसका पुनर्भुगतान एवं सर्विस बजट के माध्यम से किया जाना है।

प्रत्याभूति के आधार पर आकस्मिक देयताएं

वर्ष 2022-23 के अन्त में कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,70,780.52 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के अन्त में कुल बकाया प्रत्याभूति जीएसडीपी का 7.56 प्रतिशत थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से प्राप्य प्रत्याभूति कमीशन ₹ 4.41 करोड़ में से कोई प्रत्याभूति कमीशन प्राप्त नहीं हुआ।

राजकोषीय संवहनीयता

राजकोषीय संवहनीयता को समग्र राजकोषीय मापदण्ड के सन्दर्भ में जाँचा जाता है जैसे कि घाटा, ऋण और दायित्वों का स्तर, गैर बजट ऋण की प्रतिबद्धता, प्रतिभूतियाँ, सब्सिडी इत्यादि। जहाँ तक राजस्व तथा व्यय में भिन्नता का सम्बन्ध है, प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय महत्वपूर्ण बाधा में से एक है जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, आरक्षित निधि को अन्तरण तथा स्थानीय निकाय को अन्तरण के लिये प्रतिबद्धता से उत्पन्न हो रहे अन्य अनम्य व्यय भी हैं।

एफआरबीएम अपेक्षाएं तथा राजकोषीय मापदण्डों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत में ऋण के लिये कुछ सीमाओं का निर्धारण करते हैं। 2022-23 में राज्य ने एफआरबीएम अधिनियम में राजस्व घाटे के लिये निर्धारित लक्ष्य शून्य के सापेक्ष ₹ 37,263.44 करोड़ राजस्व अधिशेष दर्ज किया। अग्रेतर, राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में ₹ 64,636.26 करोड़ था, जो एफआरबीएम में 3.50 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 2.86 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 में सकल अवशेष देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 28.71 प्रतिशत था, जो मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2022 में निर्धारित लक्ष्य (32.50 प्रतिशत) के अन्दर था।

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदण्डों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर बजट ऋण का

सहारा लिया। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2023 को अवशेष गैर बजट ऋण ₹ 24,314.36 करोड़ था, जिसमें वर्ष 2022-23 में ₹ 3,488.00 करोड़ का लिया गया ऋण सम्मिलित है। अग्रेतर, यदि गैर बजट ऋण परिमाण को ऋण के अंश के रूप में सम्मिलित किया जाये तो राज्य का सकल दायित्व (लोक ऋण तथा लोक लेखा देयताओं को सम्मिलित करते हुए) जीएसडीपी का 29.79 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार का लोक ऋण 2018-19 से 2022-23 के मध्य 10.65 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर के आधार पर बढ़ा। उत्तर प्रदेश का लोक ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 23.08 से बढ़कर 2022-23 में 24.53 प्रतिशत हो गया। तथापि, डोमर माडल विश्लेषण के अनुसार 2019-20, 2020-21 एवं 2022-23 में ब्याज की वृद्धि दर जीएसडीपी वृद्धि दर (जी-आर>0) से कम थी। तथापि, डोमर गैप (जी-आर) के विश्लेषण के अनुसार ब्याज की वास्तविक वृद्धि दर 2018-19 एवं 2020-21 में वास्तविक आर्थिक वृद्धि को पार कर गयी थी। धनात्मक डोमर गैप प्राथमिक आधिक्य के साथ 2021-22 में ऋण/जीएसडीपी अनुपात में कमी लाता है। अग्रेतर, 2022-23 में प्राथमिक घाटे के बावजूद, 2022-23 में धनात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त था और प्राथमिक रूप से ऋण जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को घटाने में योगदान करता है। उक्त चर्चा से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों में ऋण जीएसडीपी अनुपात में उतार चढ़ाव रहा और इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि ऋण स्थिरीकरण के मार्ग पर है।

बजट प्रदर्शन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय उद्देश्य और बजट कार्यान्वयन के सन्दर्भ में बजट प्रदर्शन की जाँच यह आंकलन करने के लिये की जाती है कि मूल रूप से अनुमोदित राशि के सन्दर्भ में कुल व्यय परिणाम के बचत और आधिक्य दोनों की सीमा को दर्शाता है। राजस्व खण्ड में, बजट अनुमान (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 18.81 प्रतिशत था। यह 45 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 40 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य एवं छः अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत से अधिक व समतुल्य एक अनुदान में विचलन के कारण था। पूँजी खण्ड में, (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 23.99 प्रतिशत था। यह 45 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 21 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 19 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक सात अनुदानों में विचलन के कारण था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट प्रदर्शन यह भी दर्शाता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणी के मध्य पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में परिवर्तनशीलता में किस सीमा तक योगदान दिया है। यह उपाय अन्तिम बजट और वास्तविक व्यय में भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व खण्ड के परिणाम में संशोधित अनुमान (आरई) से विचलन (-) 12.63 प्रतिशत था। यह 64 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 23 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, पाँच अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत

के मध्य विचलन के कारण था। पूँजी खण्ड में, (आरई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 24.31 प्रतिशत था। यह 53 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 14 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 20 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक पाँच अनुदानों में विचलन के कारण था।

वर्ष 2022-23 के दौरान 42 प्रकरणों में (जहाँ प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या ₹ एक करोड़ से अधिक) ₹ 5,256.75 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान राजस्व मतदेय खण्ड के अन्तर्गत 28 प्रकरण एवं पूँजी मतदेय खण्ड के अन्तर्गत 14 प्रकरणों को सम्मिलित करते हुये अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन इंगित करता है कि वास्तविक व्यय और कुल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान के बीच विचलन क्रमशः 24 प्रतिशत और 16 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि कई प्रकरणों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान थे जहाँ व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। ऐसे विचलनों को रोकने के लिए एक विश्वसनीय बजट तैयार करने की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराएं

लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता उन मदों, लेनदेन और घटनाओं को सम्मिलित करती हैं जो अनुपालन में अन्तराल, नियमितता की कमियाँ और उन लेखा-अभिलेखों या समायोजन अभिलेख की प्राप्ति में विलम्ब के प्रकरणों से सम्बन्धित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित प्रकरणों जैसे सरकारी लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ, देनदारियों के ना या कम निर्वहन एवं लेनदेन के गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालती हैं।

अनुदानों/विनियोजनों से अधिक का नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1) (बी) के अनुसार अनुदान/विनियोजन पर आधिक्य को राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित कराना था। यह पाया गया कि 2005-06 से 2020-21 से सम्बन्धित ₹ 32,533.46 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया था।

मिलान

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 124 के अनुसार मुख्य नियन्त्रण अधिकारियों (सीसीओ)/ नियन्त्रण अधिकारियों (सीओ) द्वारा उनकी प्राप्तियों एवं व्ययों का महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखों में दर्ज किये गये आँकड़ों से मिलान अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा 2022-23 में कुल व्यय का 97.41 प्रतिशत एवं कुल प्राप्तियों का 99.27 प्रतिशत मिलान किया गया।

आईजीएस का अनुपालन

भारतीय सरकारी लेखा मानकों (आईजीएस) की आवश्यकताओं के सापेक्ष राज्य सरकार ने आईजीएस-I : सरकार द्वारा दी गयी गारण्टियों के प्रकटीकरण की आवश्यकताओं, आईजीएस-II : सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण, आईजीएस-III : सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का आंशिक अनुपालन किया गया।

वैयक्तिक जमा खाते का संचालन

उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश (मार्च 1999) प्रावधानित करता है कि वैयक्तिक जमा लेखे के प्रशासकों को कोषागार के आँकड़ों के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन करना आवश्यक था एवं महालेखाकार को वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। तथापि, वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य के पीडी लेखाओं के 12 प्रशासकों में से केवल नौ प्रशासकों ने कोषागार के आँकड़ों से अपनी शेष राशि का मिलान एवं सत्यापन किया था।

एकल नोडल एजेंसी को निधियाँ

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन एवं निधियों के प्रवाह हेतु एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली लागू की है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अंश को राज्य सरकार के लेखे के बाहर सम्बन्धित एसएनए के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, राज्य सरकार को अपने कोषागार खातों में वर्ष 2022-23 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 32,239.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त ₹ 40,531.31 करोड़ का केन्द्रीय अंश और ₹ 38,533.68 करोड़ का राज्यांश एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 28,980.96 करोड़ बिना व्यय के पड़े हैं।

सशर्त अनुदान के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र

एक निर्धारित समयावधि के अन्दर सशर्त अनुदान के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2023 तक वर्ष 2001-02 से वर्ष 2021-22 (सितम्बर 2021 तक) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 19,981.24 करोड़ के सहायता अनुदान के 30,906 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे।

सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिल

सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से लिये गये अग्रिम धन के सापेक्ष विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2023 तक ₹ 8.52 करोड़ के 842 ए.सी. बिल के सापेक्ष डीसी बिल प्रस्तुत किये जाने हेतु लम्बित थे जिसमें से ₹ 5.09 करोड़ के 788 ए.सी. बिल वर्ष 2021-22 की अवधि से सम्बन्धित थे।

सरकारी लेखाओं के बाहर निधियाँ

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए एक निधि का गठन करेगी जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के रूप में जाना जायेगा एवं जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिये गये कोई भी अनुदान एवं ऋण, अधिनियम के अन्तर्गत राज्य आयोग को प्राप्त सभी फीस एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से आयोग को प्राप्त अन्य सभी निधियाँ जमा होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा प्राप्त फीस आयोग द्वारा संचालित बैंक खाते में जमा की गयी थी। इस प्रकार,

31 मार्च 2023 तक ₹ 111.14 करोड़ की धनराशि संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के विपरीत राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी थी।

राज्य सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत संग्रहीत उपकर को बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में जमा करने का आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) निर्गत किया। उपकर को शासकीय लेखे में लिये बिना बोर्ड के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। बीओसीडब्ल्यू द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2023 को बोर्ड के पास ₹ 4,479.59 करोड़ उपलब्ध थे।

प्रचलित नियमों तथा वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन में नियन्त्रण तथा दायित्व को प्रतिस्थापित करने के लिये होते हैं। अनुपालन न किया जाना तथा विचलन लेखे की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर विपरीत प्रभाव डालता है। सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र का समय पर प्रस्तुत न किया जाना, एसी देयकों के सापेक्ष डीसी देयकों को प्रस्तुत न किया जाना, आईजीएएस का पूर्ण अनुपालन न किया जाना, सरकारी लेखाओं के बाहर निधियों का रहना लेखे की गुणवत्ता को विपरीत रूप से प्रभावित करता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के कार्य

31 मार्च 2023 को, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 113 एसपीएसई, जिनमें छः वैधानिक निगमों, 86 सरकारी कम्पनियाँ (41 निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों सहित) तथा 21 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ (जीसीओसी) थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि 101 एसपीएसई द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया, जिनके 1,047 लेखें बकाया थे। 39 एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार उनके द्वारा अर्जित ₹ 2,169.50 करोड़ के कुल लाभ में से 89.14 प्रतिशत का योगदान केवल छः एसपीएसई द्वारा किया गया था। 27 एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरण के अनुसार उनके द्वारा ₹ 32,429.90 करोड़ के कुल अर्जित हानि में से, ₹ 31,632.46 करोड़ (97.54 प्रतिशत) की हानि का योगदान पाँच ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा किया गया था। 15 एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार उनके संचित घाटे के कारण उनकी निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गई थी।

राज्य सरकार एसपीएसई के प्रबन्धन पर अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल सकती है। अन्तिम लेखों के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश राज्य विधानमण्डल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य सरकार घाटे में चल रहे एसपीएसई में घाटे के कारणों का भी विश्लेषण कर सकती है और उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।